न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

कमला देवी उर्फ सुभिता बनाम तहसीलदार ग्रा. सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर मु.नं. 28 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
21/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/1692 दिनांक 28.05.2055 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थीया ने कर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थीया का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थीया ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम थोरासी पटवार हल्का पलथाना तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के (नये) खाता सं. 104 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि सुभिता पुत्री सेवाराम दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम कमला देवी है। प्रार्थीया के नाम से बने पहचान के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड की प्रस्तुत प्रति में प्रार्थीया का नाम कमला देवी अंकित है, जो कि सही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि सुभिता पुत्री सेवाराम के स्थान पर कमला देवी उर्फ सुभिता पुत्री सेवाराम दुरूस्त किया जावें।" प्रकरण में प्रार्थीया के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः वकील प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/1692 दिनांक 28.05.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम थोरासी पटवार हल्का पलथाना तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के (नये) खाता सं. 104 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि सुभिता पुत्री सेवाराम के स्थान पर कमला देवी उर्फ सुभिता पुत्री सेवाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीयापक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला–सीकर (राज.) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra

Date: 2025.07.23 09:09:16 IST

Reason: SelfAttested

PDF Scanner ACE Scanner